न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 303/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. बिदामी बेवा भोलू फूलचन्द रामेश्वर पि. भोलू निवासी भादरपुरा
2. पतासीदेवी बेवा नारायण गोविन्दाराम पप्पू मंगलचन्द सीताराम सुशिल कुमार जुगलकिशोर पि. नारायण भंवरी पुत्री नारायण निवासी भादरपुरा
3. बालूराम पुत्र रूड़ाराम निवासी भादरपुरा
4. नाथीदेवी बेवा रूड़ाराम दीपाराम जगदीश बनवारी पि. रूड़ाराम केशी पुत्री रूड़ाराम निवासी भादरपुरा
5. कल्याण पुत्र भूरा मोहन पुत्र भूरा निवासी भादरपुरा

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः—10.12.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नांगल के पुराने ख0नं0 149 से 152, 304 से 306 की खातेदारी जमाबंदी संख्या 2019—22 के अनुसार माफी मंदिर श्री रूघनाथजी वाके देह बहतमाम पुजारी रामविलास वल्द गोविन्दराम जाति ब्राहमण व काश्त बोदूराम रामेश्वर नाथूराम पिता रामविलास बहादुरपुरा व उपकृषक शंकर वल्द बोदू रूगनाथ, नानू शंकर व गोपी रामदेव खुद कृषक वगै0 के नाम से दर्ज है। आगामी जमाबंदी संख्या 2023—26 मे 82 के द्वारा बोदूराम रामेश्वर नाथूलाल पिता रामविलास ब्रा0 हिस्सा 3/4 मोहन पुत्र भूरा अहीर हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज किया गया। नामा0 सं0 81 से खाता शंकर रामकरण रामदयाल पिता बोदू व रामेश्वर व नाथूराम पिता रामविलास जाति ब्राहमण के नाम दर्ज किया। नामान्तकरण संख्या 86 से खाता भेरूराम पुत्र मांगूराम व छोटूसिंह पुत्र दुजाराम जाति जाट नि0 पलसाना हिस्सा 1/2 बोदूराम पुत्र रामविलास हिस्सा 1/4 मोहन पुत्र भूरा जाति अहीर हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 129 से खाता शंकर रामदयाल रामकरण पि. बोदूराम के बजाय रूडाराम पुत्र लच्छाराम तथा बालूराम पुत्र रूडाराम के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया। नामा0 संख्या 132 से खाता भेरूराम छोटूसिंह भोलू का हिस्सा 1/4 कल्याण पुत्र भूरा नारायण पुत्र गोपी अहीर के नाम दर्ज किया। नामा0 संख्या 66 रूडाराम पुत्र लच्छाराम 1/8 के बजाय नाथी बेवा रूडाराम कालूराम दीपाराम जगदीश बनवारी पिता रूडाराम केशी पुत्री रूडाराम के नाम दर्ज किया गया। पुराने ख0 नं0 304 से 306, 149 से 152 के नये ख0नं0 419 से 423, 430 से 436, 654 से 660 रकबा 6.11 परिवर्तित दोराने सेटलमेंट किये गये। नामान्तरकरण संख्या 165 से खाता भोलू पुत्र किशना के बजाय बिदामी वेबा भोलू फूलचन्द रामेश्वर पिता भोलू सन्तोष देवी पुत्री भोलूराम के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 166 से खाता नारायण पुत्र गोपी हिस्सा 1/8 पतासी वेबा नारायण मंगलचन्द गोविन्दराम सीताराम सुशील कुमार पप्पू जुगल किशोर पुत्रगण नारायण भंवरी पुत्री नारायण के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 230 से सन्तोष देवी पुत्री भोलूराम के बजाय खाता फूलचन्द रामेश्वर पिता भोलू बिदामी वेबा भोलू हिस्सा 1/16 के

नाम दर्ज किया गया। अतः श्रीमानजी से निवदेन है कि उपरोक्तानुसार अवैध नामान्तरकरण संख्या 81, 82, 86, 129, 132, 66, 121, 165, 166 व 230 जो मंदिर मूर्ति की भूमि पर किये गये है। जिनका रेफरेंश श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी मोहन पुत्र भूराराम की और से वकील श्री ताराचन्द यादव उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहें। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री रघुनाथजी वाके देहतमाम पुजारी रामविलास वल्द गोविन्दराम कोम ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह बहतमाम पुजारी रामविलास वल्द गोविन्दराम जाति ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 81 के द्वारा उक्त आराजियात की खातेदारी बोदूराम रामेश्वर नाथूराम पि. रामविलास के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 82 के द्वारा मोहन पुत्र भूरा भादपुरा हिस्सा 1/4 बोदूराम रामेश्वर नाथूराम पि. रामविलास कोम ब्राहमण हिस्सा 3/4 बराबर के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 86 मुताबिक विक्रय विलेख के खाता भैरूराम पुत्र मांगूराम छोटूसिंह पुत्र दुर्जाराम जाति जाट निवासी पलसाना हिस्सा 1/2 बोदूराम पुत्र रामविलास हिस्सा 1/4 मोहन पुत्र भूरा जाति अहीर हिस्सा 1/4 निवासी भादरपुरा के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 129 व 132 मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 66 के द्वारा खातेदार रूड़ाराम फौत होने पर नाथी बेवा रूड़ाराम बालूराम दीपाराम जगदीश बनवारी पुत्रगण रूड़ाराम केशी पुत्री रूड़ाराम हिस्सा 1/8 के नाम तस्दीक किया गया है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 304 से 306, 149 से 152 जिसके नये ख0नं0 419 से 423, 430 से 436, 654 से 660 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 121 मुताबिक रहननामा के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 165 के द्वारा खातेदार भोलू फौत होने पर बिदामी बेवा भोलू फूलचन्द रामेश्वर पुत्र भोलू जाति अहीर हिस्सा 1/4 बाकी बदस्तूर के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 166 के द्वारा खातेदार नारायण फौत होने पर पतासीदेवी बेवा नारायण मंगलचन्द गोविन्दराम सीताराम सुशील कुमार पप्पू जुगलकिशोर पुत्रगण नारायण भंवरी पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 230 मुताबिक हकत्याग के फूलचन्द रामेश्वर पि. भोलू बिदामी बेवा भोलू जाति अहीर हिस्सा 1/16 के नाम तस्दीक किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी भोलू पुत्र किशना अहीर हिस्सा 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर मूर्तहीन रूड़ाराम पुत्र लच्छाराम बालूराम पुत्र रूड़ाराम जाट हिस्सा 1/4 कल्याण पुत्र भूरा नारायण पुत्र गोपी अहीर हिस्सा 1/4 निवासी भादरपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री रघुनाथजी वाके देहतमाम पुजारी रामविलास वल्द गोविन्दराम कोम ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह बहतमाम पुजारी रामविलास वल्द गोविन्दराम जाति ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है व नामान्तकरण संख्या 81 के द्वारा उक्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 व जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रूघनाथजी दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत नामान्तकरण संख्या 81 के द्वारा मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी

में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 304 से 306, 149 से 152 जिसके नये ख0नं0 419 से 423, 430 से 436, 654 से 660 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 81, 82, 86, 129, 132, 66, 121, 165, 166 व 230 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री रूघनाथजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.12.13 17:44:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: